2017/00051

27-03-2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी पर शास्ति आरोपित की गई। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्त्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति॰ जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री यशवंत भाकर, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 10/2017 2017/00051

श्री हंसराज साध खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

1– शंकरलाल पुत्र रेवताराम जाट (कड़वासरा) (दूकान मालिक) मैसर्स कडवासरा मावा भण्डार चौखूंटी पूलिया के नीचे, बीकानेर
2– श्री कन्हैयालाल पुत्र रेवताराम जाट शंकरलाल पुत्र रेवताराम जाट (कड़वासरा) (दूकान मालिक) मैसर्स कडवासरा मावा भण्डार, चौखूंटी पूलिया के नीचे, बीकानेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री महमूद अली, खाध सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी की ओर से – श्री राजकुमार छंगाणी अधिवक्ता

–: निर्णय :– दिनांक :– 27.03.2018

इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री हंसराज साध, खाध सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 22.10.2016 को अप्रार्थीपक्ष शंकरलाल पुत्र श्री रेवताराम जाट (दुकान मालिक) एवं श्री कन्हैयालाल पुत्र रेवताराम जाट (विक्रेता) मैसर्स कडवासरा मावा भण्डार, चौंखूटी पुलिया के नीचे, बीकानेर के यहां दुकान पर निरीक्षण दौरान एक पीपें में करीबन 16 किलोग्राम मावा आम जनता को बेचा जा रहा था । तदन्तर मिलावट का शक होने पर पीपे के मावे को एकरूप करके उक्त मावा में से 1 किलोग्राम 200 रूपये में खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर चार बराबर बराबर भागों में बांटकर कांच की फॉर्मेलिन की बूंदे डालकर सूखी शीशीयों में पैक करके एक सीलबन्द शीशी मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई । जिनके यहां से दिनांक 16.11.2016 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें मावा सबस्टेण्डर्ड का पाया गया । प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड मावा का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगणो की ओर से श्री राजकुमार छंगाणी अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश किया, तदन्तर उभपक्ष का कथन सुना गया।

प्रार्थी पक्ष की ओर से श्री महमूद अली सुरक्षा अधिकारी ने उपस्थित होकर बहस में निवेदन किया कि इस मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से मावे का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में Milk Fat on dry Wt. Basis % 30 की तुलना में 22.36 प्रतिशत का पाया गया है जो निर्धारित मानक से कम है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां मावा सबस्टेण्डर्ड पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बचाव में कथन किया कि वे मैसर्स कडवासरा मावा भण्डार के नाम से एक छोटी सी मावे की दुकान चलाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद में दो पक्षकार बनाये है जबकि मालिक एक ही है। मालिक बाहर जाने पर उसका छोटा भाई दुकान पर बैठा था, को पक्षकार बनाया है, जो उचित नहीं है। अप्रार्थी मावे का उत्पादन नहीं नहीं करता है बल्कि उसके द्वारा मावा निर्माता से मावा क्रय कर कमीशन एजेन्ट के रूप में आगे विक्रय करता है। मावे की टीन अप्रार्थी के पास विक्रय हेतु आते है उसको विक्रय कर अप्रार्थी मामूली कमीशन लेकर अपने परिवार का पालन–पोषण करता है। मावे में फेट संबंधी कमी पर अप्रार्थी जिम्मेवार नहीं है । यदि पीछे से निर्धारित मानक से कम मानक का मावा उत्पादित होता है तो उसमें अप्रार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । अप्रार्थी ने जानबूझकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया । अन्त में अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थी पर किसी प्रकार की शास्ति आरोपित नहीं की जावे ।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Laboratory, Jaipur की रिर्पोट क्रमांक एलएस/3142/एक्ट/2016/814 दिनांक 16.11.2016 की रिर्पोट संलग्न है इस रिर्पोट के अनुसार अप्रार्थी के यहां पाया गया मावा Milk Fat on dry Wt. Basis not less than 30.00 % की तुलना में 22.36% है, जो निर्धारित मानक से कम होने के कारण सब–स्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का मावा विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(ii) का उल्लंधन किया है । अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थीगण के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत 25,000/– अखरे पचीस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है और अप्रार्थीगण को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में प्रार्थीपक्ष पीडीआर एक्ट/एलआरएक्ट के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय प्रति अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(यशवंत भाकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर

जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner